(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, ''सूचना भवन'' अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

आदेश

(26/09/2023)

(1) आयोग प्रकरण में कंडिका 5 आयोग का मत में वर्णित (पेज नंबर 4 एवं 5) तथ्यों के आधार पर श्री लक्ष्मीदास बैरागी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत गेहलपुर, जनपद पंचायत बाड़ी, जिला रायसेन म0प्र0 (वर्तमान पदस्थी – सचिव, ग्राम पंचायत अमरावद कलां, जनपद पंचायत बाड़ी, जिला रायसेन म0प्र0) को सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाता है। आयोग अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 19/09/2022 से चाही गयी जानकारी बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारणों से उपलब्ध न कराने के कारण प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन 250/– रूपये के मान से अधिकतम 15,000/– (पंद्रह हजार रूपये मात्र) का जुर्माना श्री लक्ष्मीदास बैरागी पर व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित करता है।

(आयोग श्री लक्ष्मीदास बैरागी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दि0 26/09/2023 में पेनाल्टी कम करने के अनुरोध को मान्य करते हुये श्री लक्ष्मीदास बैरागी की वित्तीय स्थिति को सद्भावना–पूर्वक ध्यान में रखते हुये अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये राशि रू0 25,000/– के स्थान पर प्रकरण में राशि रू0 15,000/– की शास्ति अधिरोपित करता है।)

(2) जुर्माने की राशि आदेश प्राप्ति के एक माह में नगद अथवा डी.डी.(सचिव, म0प्र0 राज्य सूचना आयोग, भोपाल) के माध्यम से आयोग कार्यालय में जमा करायें। नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 के नियम 8 (6) के तहत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a) के तहत लोक प्राधिकारी – विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, "बी" विंग द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल म0प्र0 एवं जिस कार्यालय में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाती हो, को निर्देशित करता है कि इस द्वितीय अपील प्रकरण में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा म.प्र.सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 की धारा 8(6) (एक) के अनुसार आदेश प्राप्ति के 30 दिन (एक माह) के अंदर अधिरोपित शास्ति की राशि सूचना आयोग के कार्यालय में जमा न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जावे। एक माह में शास्ति की राशि जमा नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारियों से उनके आहरण एवं संवितरण अधिकारी भुगतान के समय उनके देयकों से यह राशि वसूल की जाकर शासकीय कोषालय में जमा करके आयोग को सूचित करें। कालांतर में उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने और आयोग का आदेश परिवर्तित हो जाने या शास्ति जमा करने संबंधी समस्त परिवर्तन भी संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित किये जावें।

RAHUL

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, ''सूचना भवन'' अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in
TWITTER : @rahulreports

(4) सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19 (7) एवं (फीस तथा अपील) नियम अध्याय 4(8) (4) के तहत राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी है।

(5) आदेश की प्रति विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, "बी" विंग द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल म0प्र0 और कलेक्टर, जिला रायसेन म0प्र0 को भी उपलब्ध करायी जाये। ताकि वे अपने क्षेत्र/विभाग में सूचना के अधिकार प्रकरण के प्रति सजग रहें। उक्तानुसार अपील का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

RAHUL

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
26/09/2023

APPEAL NO: A-6922/BHOPAL/2022

भोपाल, दिनांक **/10/2023**

प्रति,

1. लोक प्राधिकारी – विकास आयुक्त,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
   ''बी'' विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन,
   भोपाल (म.प्र.)

2. श्री रघुबीर दास बैरागी,
   वर्तमान लोक सूचना अधिकारी,
   सचिव, ग्राम पंचायत गेहलपुर,
   जनपद पंचायत बाड़ी,
   जिला–रायसेन म0प्र0

3. श्री लक्ष्मीदास बैरागी,
   तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी,
   सचिव, ग्राम पंचायत अमरावदकलां
   जनपद पंचायत बाड़ी,
   जिला–रायसेन म0प्र0